संख्या :238/ XXIV-B-5 / 2020 / 03(01) / 2020

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 देहरादून, दिनांक 24 जून, 2020

विषय – **मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या (पी0आई0एल0)–59 / 2020 / याचिका संख्या(पी0आई0एल0) 60 / 2020 एवं अन्य रिट याचिकाओं में पारित निर्णय के क्रम में लॉकडाउन के फलस्वरूप निजी विद्यालयों के फीस भुगतान की प्रकिया के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कोविड–19 के संक्रमण से रोकथाम हेतु लागू किये लॉकडाउन के फलस्वरूप विद्यालयों के बन्द रहने की अवधि में निजी विद्यालयों द्वारा की जा रही शुल्क वसूली के विरूद्ध योजित विभिन्न जनहित एवं रिट याचिकाओं में मा0 न्यायालय द्वारा प्रत्यावेदनों का निस्तारण किये जाने हेतु पारित निर्णय दिनांक 10.06.2020 के अनुपालन में शासन के पत्र संख्या–223 / XXIV-B–5 / 2020–03(01) / 2020, देहरादूनः दिनांक–22 जून, 2020 द्वारा निस्तारण किया गया है, उक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लॉकडाउन अवधि में निजी विद्यालय छात्रों से निम्नानुसार शुल्क प्राप्त कर सकेंगे:–

1. मात्र ऑनलाईन / अन्य संचार माध्यमों से शिक्षण कराने वाले निजी विद्यालयों को लॉकडाउन अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) लेने की अनुमति होगी। अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क अभिभावकों से नहीं लिया जायेगा। परन्तु यदि किसी विद्यालय द्वारा अतिरिक्त विषयों का अध्यापन ऑनलाईन करवाया जा रहा है तो उक्त विद्यालय द्वारा अतिरिक्त विषय पढाने हेतु पूर्व से निर्धारित शुल्क, शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त लिया जा सकेगा।
2. ऑनलाईन / अन्य संचार माध्यमों से शिक्षण का लाभ लेने के बावजूद भी शुल्क देने में असमर्थ अभिभावक कारणों का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य / प्रबन्ध समिति से शुल्क जमा करने हेतु अतिरिक्त समय का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे प्रकरणों में विद्यालय प्रधानाचार्य / प्रबन्ध समिति द्वारा कोविड–19 एवं उसके फलस्वरूप लम्बी अवधि तक लागू लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुयी असामान्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये सकारात्मक रूप से शुल्क के लिए वांछित अतिरिक्त समयावधि प्रदान की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में छात्रों को शुल्क जमा करने में हुए विलम्ब के कारण विद्यालय से बाहर नहीं किया जायेगा।
3. कोविड–19 एवं उसके फलस्वरूप लागू किये गये लॉकडाउन की अवधि में सरकारी / अर्द्धसरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से वेतन प्राप्त करने एवं उनकी आजीविका में किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडने के कारण

ऑनलाईन/अन्य संचार माध्यमों से कक्षाओं का लाभ लेने के फलस्वरूप नियमित रूप से निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) जमा करवाया जायेगा।

4. शैक्षिक सत्र 2020–21 में निजी विद्यालयों द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के शुल्क में वृद्धि नहीं की जायेगी।

उपरोक्त आदेश समस्त निजी Day एवं Day Boarding विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। इस हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0 126 दिनांक 25.03.2020, शासनादेश सं0 130 दिनांक 22.04.2020, शासनादेश सं0 131 दिनांक 02.05.2020 एवं शासनादेश सं0 161 दिनांक 14.05.2020 अतिक्रमित समझे जायेंगे।

भवदीय

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

पृ0सं0 : (1)/XXIV-B-5/2020/03(01)/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
2. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, लोक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
7. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. क्षेत्रीय अधिकारी, सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0/प्रा0शि0), गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को उक्त आदेश के अनुपालनार्थ।
10. प्रदेश स्थित उक्त विभिन्न बोर्डों के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों को (मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से) को उक्त आदेश के अनुपालनार्थ।
11. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड को उक्त आदेश के अनुपालनार्थ।
12. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को उक्त आदेश के अनुपालनार्थ।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार पाण्डे)
उप सचिव।